

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवधर/रॉची/हजारीबाग
 मुख्य अभियंता (य००)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
 पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 30-11-12

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	829.937

कुल आवंटित राशि - रुपये आठ करोड़ उन्तीस लाख तेरानबे हजार सात सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 8890.52 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11/बी० टी० ई०- 04/2012/310/बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 56.34 लाख सहित कुल ₹ 8946.86 लाख (निकासी करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(सुरेश प्रसाद भगत)

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

(एस० के० सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से दिनांक 31.08.12 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को एकमुश्त रस्थानान्तरण अनुदान एवं पैकिंग भत्ता का नियमानुसार भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए वरीयता के अनुसार किया जाय। शेष राशि से लंबित रस्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं तदुपरान्त अवशेष राशि से सामान्य यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाय।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

149

रॉची, दिनांक :- 30-11-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/दुमका/गुमला/साहेबगंज/गोड़डा/हजारीबाग/जमशेदपुर/चाईबासा/जामताड़ा/खूंटी/सिमडेगा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

149

रॉची, दिनांक :- 30-11-12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

11.44

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

गृह
(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)

लि
(एस० के० सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

लि
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
मार्ग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक 149, तिनांक 30/11/2012 का अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2012-2013		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं गर्दे			विस्तृत शीर्ष-02-			विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक वय			विस्तृत शीर्ष-04-			विस्तृत शीर्ष-07-			राशि लाख रुपये में		
क्रम सं	कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यात्रा	यात्रा	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एलटोटोपीट	दशाय यात्रा	कार्यालय	किरण्यादर	आपूर्ति एवं दूर्धारा	वर्दी	विद्युत वय	निदेशनिकार्यालय	इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रधार	कुल योग	अभियुक्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	मुख्य अभियंता देवधर	पूर्व का आवंटन कुल आवंटन	32.000 38.000	21.000 26.000	53.000 64.000	0.000 0.000	0.000 0.900	1.000 1.000	0.000 0.000	0.100 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.800	0.000 0.000	55.800 66.950	11.150		
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, रोंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	50.350 51.350	30.300 30.300	80.650 81.650	0.060 0.060	0.000 0.000	1.410 1.410	1.000 1.000	0.000 0.000	0.300 0.500	0.030 0.030	0.500 0.500	0.800 0.800	0.050 0.050	84.800 86.000	1.200		
3	मुख्य अभियंता रोंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	11.000 0.000	7.000 0.000	18.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.862 0.700	0.700 0.000	0.000 0.000	0.150 0.150	0.000 0.000	0.100 0.100	1.000 0.000	0.000 0.000	21.312 0.700			
4	जलपथ अंचल, गुमला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	49.000 24.000	29.000 38.000	78.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.190	0.100 0.000	1.743 0.190	0.600 0.000	0.000 0.000	0.070 0.000	0.230 0.000	0.300 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	81.843 38.190		
5	जलपथ अंचल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	57.000 57.000	34.000 34.000	91.000 91.000	0.000 0.000	0.000 0.000	1.215 0.080	0.400 0.000	0.000 0.000	0.070 0.000	0.000 0.000	0.700 0.000	0.000 0.050	93.385 0.130	93.515			
6	जलपथ अंचल, दुधका	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	57.000	34.000	91.000	0.000	0.000	1.215	0.400	0.000	0.070	0.000	0.700	0.000	0.700	0.050			
7	जलपथ अंचल, रोंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	70.000	42.000	112.000	0.000	0.000	2.101	0.400	0.000	0.070	0.000	0.100	0.700	0.000	0.100	115.671		
8	जलपथ अंचल, रोंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	120.000	70.490	190.490	0.190	0.000	2.633	0.600	0.000	0.250	0.250	0.250	0.700	0.000	0.000	195.363	1.454	
9	लपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, रोंची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	75.000 0.000	37.000 0.000	112.000	0.000	0.000	1.050	0.500	0.000	0.500	0.100	0.300	0.000	1.000	0.000	115.450	196.817	
10	लपांकण अंचल, देवधर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	40.000 60.000	24.000 32.000	64.000 0.000	0.320 0.000	0.000	1.385	0.400	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	66.835 32.000		
								1.385	0.400	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	98.835		

(छोला प्रसाद भात)

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

(सुबोध कुमार सिंह)

(वी. सी. नियम)

(राम सिंह)

(प्रधान सचिव)

नियम

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते							विस्तृत शीर्ष-02-			विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक खर्च			विस्तृत शीर्ष-04-	विस्तृत शीर्ष-05-	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	जीवन यापन	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एलटीएसी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	विधुत व्यय	गोदानादियां	विविध भावना	कुल योग	अभियुक्त			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	सिंचाई अंचल, जमीडीह	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	25.000	15.000	40.000	0.000	0.000	1.256	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	81.826	40.200
12	सिंचाई अंचल, जामताडा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	75.000	45.000	120.000	0.000	0.000	1.256	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	122.026	
13	सिंचाई अंचल, मध्यपुर	पूर्व का आवंटन कुल आवंटन	47.000	35.420	82.420	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	84.745	0.325
14	अधिम योजना प्र०, रौची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	41.000	25.580	66.580	0.000	0.000	0.050	0.125	0.000	0.000	0.150	0.175	0.100	0.000	0.050	71.041	0.125
15	आयोजन युग्न नियंत्रण एवं मो प्रमङ्गल, देवधर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	92.000	55.000	147.000	0.000	0.000	1.852	0.300	0.000	0.000	0.030	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	114.550
16	गांव पम्प नहर प्रमङ्गल, साहेबगंज	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	95.000	57.000	152.000	0.000	0.000	0.840	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	149.382	27.790
17	गुण नियंत्रण प्रमङ्गल, रौची	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	128.000	77.780	205.780	0.000	0.000	0.100	0.260	0.000	0.000	0.050	0.575	0.100	0.000	0.100	50.045	203.235
18	जलपथ प्रमङ्गल, युमला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	136.000	78.000	214.000	0.000	0.000	1.521	0.300	0.785	0.000	0.100	0.000	0.300	0.000	0.100	217.106	
19	जलपथ प्रमङ्गल सं.-1, चकधरपुर	पूर्व का आवंटन कुल आवंटन	80.000	50.420	130.420	0.000	0.000	1.079	0.300	1.020	0.000	0.050	0.000	0.500	0.200	0.100	133.669	3.342
20	जलपथ प्रमङ्गल सं.-2, चकधरपुर 'शिविर - चार्चाबासा	पूर्व का आवंटन कुल आवंटन	55.000	33.000	88.000	0.000	0.000	0.340	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	89.066	43.000
21	जलपथ प्रमङ्गल सं.-2, चैनपुर युमला	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	53.000	32.000	85.000	0.000	0.000	0.766	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	132.066	87.147
			79.000	48.000	127.000	0.000	0.000	0.000	0.200	1.097	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42.000	129.147

(कुरुक्ष प्रसाद भाटा)
सहायक अधिकारी

(जयप्रकाश मड्डाचार्य)
उप सचिव (अधिक)

(मुख्यमंत्री सिर्फ़)
संयुक्त सचिव (अधिक)

(लौह सिंह निराम)
विशेष सचिव

(राज्य सचिव)
प्रधान सचिव

(G) (3) (b) (4) (b) (5) (C) (5) (D) (5) (E) (5) (F) (5) (G)

ପାତାର ଲାଲାଙ୍ଗ

2012-2013

卷之三

卷之三

卷之三

ТЯГАЧИ

वित्तीय वर्ष 2012-2013		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं खर्च										विस्तृत शीर्ष-02-		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक खर्च		विस्तृत शीर्ष-04-		विस्तृत शीर्ष-05-	
क्र०	कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन	योग	15.11.2000 के प्रत्येकसी0	पूर्व का बकाया	देशीय यात्रा	कार्यालय	किसायादरे,	आपूर्ति एवं	दूर्याप	वर्ती	विद्युत या	माटर्साडेया	विवि प्रभाव	कुल योग	अभियुक्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
32	सिंचाई प्रमङ्गल गोड़ा, शिविर-महानामा	पूर्व का आवंटन	63.000	37.000	100.000	0.000	0.000	1.220	0.300	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	101.550	151.550		
33	सिंचाई प्रमङ्गल, जामताड़	कुल आवंटन	95.000	55.000	150.000	0.000	0.000	1.220	0.300	0.000	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000	83.270		
34	सिंचाई प्रमङ्गल, डुमका	कुल आवंटन	90.290	55.030	145.320	0.035	0.000	0.720	0.300	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	65.530	148.800		
35	सिंचाई प्रमङ्गल, देवधर	पूर्व का आवंटन	82.000	49.000	131.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	131.530		
36	सिंचाई प्रमङ्गल, पाकुड़	कुल आवंटन	122.000	78.000	200.000	0.000	0.400	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	70.650		
37	सिंचाई प्रमङ्गल, सिकिटिया	पूर्व का आवंटन	162.810	102.520	265.330	0.000	0.100	3.070	0.300	0.000	0.030	0.950	0.000	0.000	0.200	0.050	270.030		
38	सिंचाई प्रमङ्गल, सो-1,बरहेट	कुल आवंटन	80.680	57.670	138.350	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350		
39	सिंचाई प्रमङ्गल, सो-2,जामताड़ा	कुल आवंटन	80.900	40.450	121.350	0.130	0.000	0.498	0.400	0.000	0.000	0.550	0.200	0.000	0.100	123.228	123.528		
40	सिंचाई यात्रिक प्रमङ्गल, देवधर	कुल आवंटन	91.000	54.000	145.000	0.000	0.000	1.286	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	98.586	147.783		
	ओतिरिक्त आवंटन का योग		112.000	81.000	193.000	0.000	0.100	3.079	0.500	0.040	0.250	0.100	0.675	0.100	1.00	198.944	0.300		
			112.000	81.000	193.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.050	199.244		
			495.430	309.780	805.210	0.035	0.900	14.177	1.700	0.260	0.200	0.630	4.325	0.400	1.650	0.450	829.937		

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विवेष-14/2010-50/बजट दिन 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद से दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विप्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमत्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि— रुपये आठ करोड़ उन्नीस लाख तेरानवे हजार सात सौ मात्र


(सुरेश प्रसाद भगत)


(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अधीक्ष)


(बुधवार कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अधीक्ष)
30-11-12


(एस० के० शांतपथी)
प्रधान सचिव
विशेष सचिव


(बी० सी० निमाम)
प्रधान सचिव